क्रम संख्या–091

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003, पर 16–04–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 09, सन् 2003)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 3 (2) का संशोधन

मूल अधिनियम, की धारा 3 (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :-

2. "आयोग में प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें एक महिला हो होंगे; परन्तु अध्यक्ष सहित चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2003) for general information :

No. 181/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 09 OF 2003)

AN

ACT

To further amend the Uttaranchal Minority Act, 2002 in it's application in Uttaranchal.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :--

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

Amendment of section 3 (2) of the Principal Act

In section 3(2) of the Minority Commission Act, 2002 (hereafter referred to as the Principal Act) the following section shall be substituted namely.

2. The Commission shall consist of a Chairman and Four members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman; provided that the Chairman and other Four members shall be from amongst the minority communities.

By Order,

BHAROSI LAL,
Sachiv.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधायी / 141-2003-500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।